(26)

दिनांक 4 सितम्बर 1989 को प्रातः 11.00 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र, बीछवाल बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत :

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:-

1. डा. के. एन. नाग — अध्यक्ष
2. श्री बी. डी. कल्ला
3. श्री हनुमान प्रसाद
4. डा. एस. एस. आचार्य
5. डा. के. पी. पन्त
6. डा. एन. एल. अग्रवाल
7. श्री सीताराम चौधरी
8. प्रो. शिवनाथ सिंह कपूर
9. श्री के. एम. मेहता
10. श्री राम गोपाल ~~आचार्य~~ चौधरी
11. श्री खुशहाल सिंह — सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य

1. श्री बी. एस. उज्वल
2. श्री के. एस. माथुर
3. डा. जे. एस. भाटिया

श्री एम. एल. मेहता, डा. पी. डी. शर्मा, डा. आर. एस. परोदा, व निर्देशक कृषि ने बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति ने श्री बी. डी. कल्ला का बोर्ड में पुनः मनोनयन होने पर बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर स्वागत किया। साथ ही डा. के. पी. पन्त, का बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर स्वागत किया ।

राकृवि/प्रबो-13/89-6/160 — गत बैठक दिनांक 17.6.89 की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय :-

अ) ~~श्री के. एम. मेहता द्वारा बताया गया कि~~ शैक्षणिक योजना के प्रारूप पर ~~इस बैठक में~~ विचार विमर्श विशेष ~~इस~~ बैठक में ~~होना था~~ हुआ है। कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि प्रारूप इस माह के अन्त तक तैयार हो जायेगा। ~~इस पर निर्णय लिया गया कि 30.9.89 के प्रथम~~ अार पूर्व शैक्षणिक योजना का प्रारूप

30.9.89 तक
बोर्ड के सदस्यों को प्रेषित कर दिया जायेगा
कुलपति महोदय ने द्वारा ~~द्वारा~~ बताया गया कि इस
पर विचार विमर्श हेतु एक विशेष बैठक माह
नवम्बर के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी।
सदस्यों का अनुरोध था कि इस बैठक में अधिक
से अधिक सदस्य भाग लें। इस हेतु समस्त सदस्यों की
सुविधा का ध्यान रखा जाय। कुलपति ने सभा
की सम्मति चाही कि उक्त बैठक में डा. एस. एस
खन्ना, सलाहकार योजना आयोग व आयुक्त
पशु पालन विभाग, भारत सरकार को भी
विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाय।
सभा ने अनुमोदन किया।

ब) मद संख्या 158 के अनुसार डा. बी. एस. यादव
की सेवायें कूनक्यूनियल टीम के निरीक्षण अथवा
चार माह जो भी पहले हो बढ़ायी जाय। के
स्थान पर "कूनक्यूनियल टीम के निरीक्षण व
पी. एल. 480 योजना के मूल्यांकन हेतु प्रतिवेदन
तैयार करने हेतु चार माह के लिये बढ़ायी जाय"
पढ़ा जाय।

राकृवि/प्रबो-13/89-6/161
दिनांक 17.6.89 की बैठक में लिये गये निर्णयों
की क्रियान्विति पर विचार किया गया।
निर्णय लिया गया कि निर्णयों की क्रियान्विति को
आलोकित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-13/89-6/162
विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों का
प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।
निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा प्रसारित
विभिन्न आदेशों को आलोकित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-13/89-6/163
शोध सहायकों को मकान किराया भत्ता मूल वेतन
रू. 1500 मान कर प्रदान किये जाने पर विचार
किया गया।
विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि
इस मामले पर वित्त समिति को परीक्षण कर निर्णय
लेने हेतु प्रेषित किया जाय। निति निर्धारण करते

समय वित्त समिती राज्य सरकार के नियमों को ध्यान में रखे। बोर्ड को निर्णय से सूचित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/164

सेवा निवृति पर कर्मचारी को उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान 180 दिनों के स्थान पर 240 दिन तक का प्रदान किया जाय पर विचार किया गया। श्री बी. डी. कल्ला का सुझाव था कि इस पर विचार करने के पूर्व राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से पूर्ण जानकारी शिक्षा विभाग से प्राप्त कर ली जाय तत्पश्चात इस मद पर विचार हेतु कुलपतियों की समन्वय समिती को यह मामला प्रेषित किया जाय। सभा ने इसका अनुमोदन किया।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/165

बीज एवं उत्पादन मदो पर छूट स्वीकृत किये जाने हेतु अधिष्ठाता, राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर के पत्र संख्या 2490 दिनांक 16.7.89 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि भारती बीज निगम के नियमों के अनुसार बीज के अपलेखन की कार्यवाही की जाय। सामान्य उत्पादनों पर प्रचलित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/166

श्री ए.आर. आचार्य, सेवानिवृत लेखाधिकारी (आडिट) के पारीश्रमिक को 1500 रूपये से बढ़ाकर 2000 रूपये प्रति माह किये जाने पर विचार किया गया। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय पर सेवा अवधी अधिकतम आज से एक वर्ष की ही होगी।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/167

एक कृषि विश्वविद्यालय से दूसरे कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थापन होने पर कर्मचारी/वैज्ञानिकों को पेंशन सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन अंशदान प्रदान करने का प्रस्ताव श्री रूप राम, अधिशासी सचिव, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के पत्र क्रमांक 7/89-आईएयूए दिनांक 27.7.89 पर विचार किया गया।